(59)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/ग्वालियर/भू.रा./2017/2089 विरूद्ध आदेश दिनांक 28–6–2017 पारित द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर, प्रकरण क्रमांक 154/अपील/2016–17.

1–परमालसिंह पुत्र रणवीरसिंह
2–पृथ्वीसिह पुत्र रणवीरसिंह
3–अनुरागसिंह पुत्र पृथ्वीसिंह
सभी निवासी ग्राम करहिया तहसील चीनौर जिला ग्वालियर

..... आवेदकगण

विरूद्ध

1–रामबाबू पुत्र सियाराम तिवारी
2–अवधेश सिह पुत्र हरदयाल तिवारी
निवासी ग्राम करहिया तहसील चीनौर जिला ग्वालियर
3–अविनाश सिंह पुत्र पृथ्वीसिंह
4–भीकमसिंह पुत्र खेमराज
5–मुलायमसिंह पुत्र खेमराज
6–कृपालसिंह पुत्र खेमराज
7–शिशुपालसिंह पुत्र खेमराज
सभी निवासी ग्राम करहिया तहसील चीनौर जिला ग्वालियर
8–बाबूसिंह पुत्र नादरिया
निवासी ग्राम करहिया तहसील चीनौर जिला ग्वालियर

..... अनावेदकगण

.....

श्री एस0पी0धाकड़, अभिभाषक, आवेदक
श्री अशोक भार्गव, अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 7/4/18 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–6–2017 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे केवल ''संहिता'' कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक कमांक 2 द्वारा तहसीलदार करैया के समक्ष सर्वे 2920/5 रकबा 1.045 हेक्टेयर के नक्शे में बटांकन करने संबंधी आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा प्रकरण दर्ज कर दिनांक 24–4–14 को बटांकन आदेश पारित किया गया । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 3–1–17 को आदेश पारित कर अपील स्वीकार की गई है । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की गई और अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 28–6–17 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3– आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि कि सर्वे कमांक 2920 का पूर्व से बटांकन चला आ रहा है । तहसीलदार द्वारा मात्र अमल करने के आदेश दिये गये हैं अतः तहसीलदार का आदेश निरस्त करने में दोनों अपीलीय न्यायालयों द्वारा त्रुटि की गई है । ऋण पुस्तिका में सर्वे नम्बर 2929/5 का उल्लेख है इससे भी स्पष्ट है कि सर्वे नम्बर 2920 का पूर्व में बटांकन हो चुका है इसलिये भी अपीलीय न्यायालयों द्वारा बटांकन आदेश निरस्त करने में त्रुटि की गई है। उनके द्वारा अपीलीय न्यायालयों के आदेश निरस्त कर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4— अनावेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये है :—

(1) आवेदकगण की ओर से सर्वे नम्बर 2920/5 का बटांकन का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, परन्तु तहसीलदार द्वारा मूल सर्वे नम्बर 2920 का बटांकन कर दिया गया है।

(2) प्रकरण में शासन का हित भी निहित है परन्तु विचारण न्यायालय द्वारा शासन को पक्षकार नहीं बनाया गया है ।

(3) राजस्व निरीक्षक द्वारा जो फर्द बटांन प्रस्तुत की गई है उसमें सर्वे नम्बर 2920/4 तीन जगह अंकित किया गया है जबकि नक्शे में सर्वे नम्बर 2920/4 की आकृति न्यून है ।

(4) सर्वे नम्बर 2920 का पूर्व में बटांकन हो चुका है तो पुनः उसका बटांकन नहीं किया जा सकता है । विचारण न्यायालय से पूर्व में हुये बटांकन को ही अमल करना चाहिये था परन्तु पुनः बटांकन करने में त्रुटि की गई है इसलिये अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा तहसील न्यायालय का बटांकन आदेश निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है । अतः अपीलीय न्यायालयों के आदेश स्थिर रखे जाकर निगरानी निरस्त की जाये ।

5— प्रकरण में उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया तथा उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । तहसील न्यायालय के अभिलेख से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय द्वारा बटांकन कार्यवाही में सभी पक्षों को सुना नहीं गया है, पूर्व में हुये बटांकन को भी विचार में नहीं लिया गया है । दोबारा बटांकन की आवश्यकता क्यों पड़ी, तहसील न्यायालय द्वारा यह भी नहीं देखा गया है । इस फर्द बटांकन के कम में जो अक्श, नक्शा संलग्न किया गया है, वह भी तहसीलदार द्वारा प्रमाणित नही है । इसलिये अनुविभागीय अधिकारी तहसील

न्यायालय का आदेश निरस्त करने में वैधानिक एवं न्यायसंगत कार्यवाही की गई है और अनुविभागीय अधिकारी के विधि संगत आदेश को अपर आयुक्त द्वारा स्थिर रखने में कोई त्रुटि नहीं की गई है । इस संबंध में 1982 आर.एन.36 रामाधार विरूद्ध आनन्दस्वरूप व अन्य में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है –

"धारा –50 – समवर्ती निष्कर्ष – अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों में कोई अवैधता या अनियमितता नहीं – पुनरीक्षण में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिये ।"

अतः उपरोक्त न्यायिक सिद्धांत के प्रकाश में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्षो में हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं होने से अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6– उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–6–2017 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर.